देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या- 01 /2023

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांकःलखनऊःजनवरी 03 ,2023

विषयः **शरद ऋतु में शीतलहर/घने कोहरे की रात्रि में घुमक्कड़/बावरियॉं/कच्छा बनियानधारी गिरोहों के अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध नियन्त्रण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।**

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि शरद ऋतु में शीतलहर/घने कोहरे की रात्रि में विशेष रूप से सड़कों पर आम जनमानस का आवागमन कम संख्या में होता है। इस मौसम में घुमक्कड़ अपराधी/बावरियॉं अपराधी/कच्छा बनियान गैंग द्वारा सनसनीखेज अपराध कारित करने की सम्भावना रहती है। ऐसी घटनाएँ प्रायः नगरों तथा कस्बों व कभी-कभी ग्रामीण अंचल के बाहरी क्षेत्रों में घटित होती है।

डीजी-परिपत्र संख्या-01/2021, दिनांक 01.01.2021
डीजी-परिपत्र संख्या-25/2019, दिनांक 27.06.2019
डीजी-परिपत्र संख्या-67/2018, दिनांक 23.11.2018
डीजी-परिपत्र संख्या-47/2016, दिनांक 03.08.2016

आप सहमत होंगें कि इस प्रकार की घटना घटित होने पर जहॉं एक ओर जनमानस में असुरक्षा का भय व्याप्त होता है वहीं दूसरी ओर पुलिस के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है। इसलिए अत्यन्त आवश्यक है कि इस मौसम में गश्त व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करायी जाये, जिससे जन-सामान्य में सुरक्षा की भावना बनी रहे तथा इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

इस प्रकार के रात्रि में घटित होने वाले अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नांकित कार्यवाही अपेक्षित हैः-

- शीतकाल में रात्रि के समय कोहरे के कारण दृश्यता कम होती है, इसका लाभ उठाकर घुमक्कड़/बावरियॉं/कच्छा बनियानधारी अपराधियों के गैंग विचरण करते है तथा डकैती/लूट, नकबजनी, ए0टी0एम0 चोरी, शटर काटकर चोरी, बिजली तार चोरी तथा रोड होल्डअप जैसी दुःस्साहसिक/सनसनीखेज घटनायें कारित करते है जिनमें प्रायः जनहानि भी हो जाती है। ऐसी वीभत्स घटनायें घटित न होने पाये इस हेतु कमिश्नरेट/जनपद/परिक्षेत्र तथा जोन स्तर पर प्रभावी व **व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार** कर समस्त पुलिस बल, गश्ती वाहन पर नियुक्त कर्मियों तथा राजपत्रित अधिकारियों की यथोचित ब्रीफिंग कर ली जाये। विगत में घटित घटनाओं की समीक्षा करते हुए जनपद/परिक्षेत्र व जोन स्तर पर हॉट-स्पॉट्स चिन्हित करते हुए सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध व **योजनाबद्ध गश्त प्रणाली** कार्यान्वित की जाये।
- जनपद के ऐसे क्षेत्र जो इस प्रकार के अपराधों के लिए संवेदनशील/सम्भावित हो सकते हों, ऐसे **चिन्हित हॉटस्पाट्स** पर विशेष रूप से रात्रि 12:00 बजे से प्रातः 04:00 बजे के बीच नियमित गश्त करायी जाये। संवेदनशील राजमार्गो पर गश्त हेतु पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग वाहन लगाये जाये तथा संवेदनशील स्थानों पर सुदृढ़ पुलिस पिकेट लगायी जाये। रात्रि गश्त हेतु थानों एवं चौकियों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को नियुक्त किया जाये। गश्त/चेकिंग के दौरान हूटर/सायरन/फ्लैश लाइट का प्रभावी प्रयोग किया जाये।

- प्रत्येक जनपद में **रात्रि गश्त हेतु जोनल चेकिंग स्कीम व गश्त मिलान प्रणाली** को सक्रिय कर लिया जाये। प्रतिदिन जनपद के प्रत्येक थाने मे रात्रि में एक अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाये कि वह गश्त व्यवस्था का मूल्यांकन/समीक्षा एवं चेकिंग सुनिश्चित करेंगे।
- **ग्राम/ मोहल्ला सुरक्षा समितियों को कियाशील** बनाकर गश्त करायी जाये। रात्रि में गश्त करने वाले कर्मचारियो के पास डंडा, टार्च, सीटी इत्यादि उपकरण अवश्य हो तथा कभी भी अकेले गश्त पर कर्मचारियों को नही भेजा जाये। **कम्यूनिकेशन प्लान** का प्रभावी प्रयोग भी इस दिशा में लाभप्रद होगा। ग्रामों/ मोहल्लों में डिजिटल वॉलिन्टयर की संख्या बढ़ायी जाये ताकि सूचना का आदान-प्रदान त्वरित हो सके। यूपी-112 की गाडियों में लगे स्टॉफ को इस सम्बन्ध में विशेष रूप से ब्रीफ किया जाये तथा आवश्यकतानुसार इस दृष्टिकोण से उनका क्षेत्र पुर्ननिर्धारित किया जाये।
- घुमक्कड़ अपराधियों के ठहरने के ठिकानों के विषय में शीघ्रातिशीघ्र पूरे जनपद में छानबीन करा ली जाये। विशेष रूप से शहर, कस्बों के बाहरी इलाकों, रेलवे लाइन एवं सड़कों के आस-पास लगे अस्थायी टेंटों पर चेकिंग करायी जाये, किन्तु यह भी सुनिश्चित करा लिया जाये कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न किया जाये।
- रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन के आस-पास भी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों का आवागमन व गतिविधियॉ रहती है। रेलवे स्टेशन के आस-पास ये प्रायः अपने अस्थाई ठिकाने बना लेते है तथा घटनाएँ कारित करने के लिए गैंग के सदस्यों के साथ आवागमन हेतु ट्रेनों का प्रयोग करते है। रेलवे लाइनों के आस-पास की कालोनियों में भी प्रायः घुमक्कड़ अपराधियों द्वारा घटनायें कारित की जाती है। अतः उक्त के दृष्टिगत **जी0आर0पी0 के अधिकारियों के साथ समन्वय** स्थापित कर गश्त/चेंकिंग की कार्यवाही प्रभावी रूप से की जाये। जी0आर0पी0 के भी समस्त कर्मचारियों व राजपत्रित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार योजनाबद्ध रूप से कार्यवाही हेतु यथोचित ब्रीफ किया जाये।
- इस प्रकार के गिरोहों के सदस्य प्रायः घटना करने से पूर्व होटलों, ढाबों व शराब की दुकानों के आस-पास शराब का सेवन करते हैं। अतः रात्रि में शराब ठेकों, ढाबों इत्यादि के पास भी संदिग्धों की चेकिंग की जाये।
- ऐसे अपराधी कई बार घटनास्थल से 03-04 किलोमीटर की दूरी पर अपने वाहन खड़े कर जाते हैं, ताकि इस वाहन का प्रयोग वारदात करने के पश्चात् जनपद से भागने में किया जा सके। अतः खड़े **लावारिस वाहनों की चेकिंग** अवश्य की जाये। घटना होने के पश्चात् जनपद की सीमा को सील करके ऐसे वाहनों को जनपद के बाहर न निकलने देने का प्रयास किया जाये।
- ढाबा एवं एकान्त में खड़े ऐसे बड़े वाहनों की चेकिंग की जाये और देखा जाये कि **वाहन में कोई सीक्रेट कम्पार्टमेन्ट/चेम्बर** तो नही बनाये गये हैं, यदि बने हों तो उनमें देखा जाये कि **अवैध वस्तु, असलहा** आदि तो नही है।
- समस्त जनपद/कमिश्नरेट/परिक्षेत्र व जोन स्तर पर विगत 10 वर्षो में इस प्रकार के अपराधों मे सम्मिलित रहे **अपराधियो को सूचीबद्ध** करते हुए उनके सत्यापन की कार्यवाही हेतु **प्रभावी अभियान प्रारम्भ** किया जाये। सक्रिय/संदिग्ध अपराधियों व उनके गैंग के विरूद्ध सख्त निरोधात्मक कार्यवाही सनिश्चित की जाये। जनपद/परिक्षेत्र व जोन स्तर पर समन्वय स्थापित कर योजनाबद्ध रूप से यह कार्यवाही की जाये।

- पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में पंजीकृत समस्त अभियोगों की **विवेचनात्मक कार्यवाही की समीक्षा** कर ली जाये। अनावरण को शेष समस्त प्रकरणों का ठोस कार्यवाही कर **अनावरण** कराया जाये। लम्बित विवेचनाओं में शेष कार्यवाही पूर्ण कराकर निस्तारण कराया जाये तथा वांछितों की गिरफ्तारी करायी जाये।
- इस प्रकार के गिरोहों एवं उनके **सदस्यों की गैंगचार्ट** तैयार कर उनके विरूद्ध **गैंगस्टर एक्ट** के तहत कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जाये। इन **अपराधियों के हिस्ट्रीशीट** खोलने की कार्यवाही भी की जाये, ताकि इनकी निगरानी सतत् रूप से हो सके।
- इस प्रकार के सनसनीखेज/जघन्य अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में **प्रभावी पैरवी** सुनिश्चित की जाये। इनके जमानतदारों का पता लगाकर नियमानुसार सत्यापन कराया जाये तथा अभ्यस्थ अपराधियों की **जमानत निस्तीकरण** व विधिक कार्यवाही करायी जाये।
- स्पेशल टॉस्क फोर्स (एस0टी0एफ0) द्वारा अपनी फील्ड ईकाईयों को उपरोक्तानुसार सक्रिय करते हुए घुमक्कड़/बावरियॉ/कच्छा बनियानधारी गैंग/अपराधियों पर सर्तक चौकसी रखते हुए विशेष अभियान चलाकर यथावश्यक जनपदीय पुलिस से समन्वय स्थापित कर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त दिशा-निर्देश केवल सामान्य मार्ग-दर्शन के लिए है इसके अतिरिक्त आप अपने जनपदों की अपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अपराध नियन्त्रण की दिशा में अन्य आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

आप सभी से अपेक्षा है कि उपरोक्त बिन्दुओं का स्वयं गम्भीरता से अध्ययन कर लें एवं एक कार्यशाला के माध्यम से जनपद में नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस निर्देश के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही व उदासीनता न बरतें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें।

भवदीय

03/1/2023

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।
प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ।
2-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज/यूपी-112, उ0प्र0 लखनऊ।
3-अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
4-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5-पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
6-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।